न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 57/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 चम्पा देवी पत्नि कैलाश चन्द्र कुमावत उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

..... प्रार्थीया

बनाम

1 कैलाश चन्द्र पिता बालू खाती उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 घीसी पत्नि बालू खाती उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 छीतर पिता गोकल रेगर उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 राधेश्याम पिता बालू खाती उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 रामदेव पिता घीसू लाल बैरवा उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 सत्यनारायण पिता भूरा खाती उम्र–वयस्क निवासी देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 शाखा प्रबन्धक, बेंक ऑफ बडौदा शाखा कोठिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा
8 भूमिधार, तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री शिवराज शर्मा———वकील प्रार्थी
अनुपस्थित– श्री राजेश वर्मा.....विपक्षी 01, 02, 04
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 09.06.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 31.07.2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा देवरिया पटवार मण्डल क्षेत्र देवरिया तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 117 के आराजी संख्या 2505/1608 रकबा 0.51 हैक्ट. प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 01, 04 के पक्ष में संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीया स्वयं की सहखातेदारी भूमि के काबिज हिस्से में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरे के काबिज हिस्से तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीया वर्षो से अप्रार्थीगणों की संयुक्त खातेदारी भूमि में से होकर आती जाती रही है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 01 से 06 की आराजी संख्या 2506/1608 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की सहखातेदारी खसरे के काबिज हिस्से में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 2506/1608 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

9.6.23

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 04.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, दलील जाहिर करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 04 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र पैश किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 01, 02, 04 की ओर से जरिये अधिवक्ता खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास अपने काबिज हिस्से में पहुंच का अन्य वैकल्पिक मार्ग खसरा संख्या 1607 मौजूद होते हुए भी जवाबदाता की भूमि कब्जा करने की नियत से 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नही है। प्रार्थीया शुरूवात से ही बिना किसी बाधा/रूकावट अपने काबिज हिस्से में आ जा रही है। यदि प्रार्थीया को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थीगण को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही इससे अप्रार्थीगणों का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। प्रार्थनापत्र के माध्यम में बताये गये रास्ते से प्रार्थीया की कभी आवाजाही नही रही है। प्रार्थीया का वर्षो से आवागमन का कथन असत्य है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीया सव्यय खारीज फरमाया जावें। अवशेष रहे अप्रार्थीगण के द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 03, 05 से 07 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

उभयपक्षों के नियुक्त विद्वान अभिभाषकों ने बतौर बहस अपने अपने अभिवचनों को दोहराते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली व पत्रावली पर खण्डन स्वरूप प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के अध्ययन/परीक्षण किया गया।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थनापत्र के माध्यम से न्यायालय को यह अवगत कराया है कि उसके पास अपनी खातेदारी भूमि के काबिज हिस्से पर पंहुच हेतु न तो कोई स्थाई मार्ग व न ही कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद है। जबकि अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह बताया है कि खसरा संख्या 1607 जो मुख्य सडक से लगता हुआ है। उस खसरे में प्रार्थीया की सहखातेदारी है। अभिलेखों में यह खसरा 1607 अलोल पत्नि कैलाश चन्द्र कुमावत के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। श्रीमती अलोल ओर प्रार्थीया चम्पा देवी एक ही व्यक्ति है एवं यह तथ्य प्रार्थीया पक्ष द्वारा दौराने बहस स्वीकार किया गया है। अब चूंकि खसरा संख्या 1607 एवं जिसमें सें प्रार्थीया द्वारा रास्ता चाहा गया वह खसरा 2505/1608 से लगता हुआ है।---

7/12/23

-----जिसकी ताईद राजस्व अभिलेखों से होती है। यानि निसंदेह प्रार्थीया अपनी दोनों सहखातेदारी आराजीयात में से बिना किसी अन्य काश्तकार का रकबा प्रभावित किए निर्बाध आवागमन कर सकती है। दूसरी ओर प्रार्थीया ने अपने पास वैकल्पिक मार्ग होने का तथ्य भी न्यायालय छिपाया है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र से चाहा गया अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) में वर्णित मापदंडो अनुसार देय नही है।

आदेश

प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र गलत एवं आधारहीन तथ्यो पर आधारित प्रस्तुत हुआ माना जाकर पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/2023

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा